न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–29/2022

CNR No.UPAU120010432022

अजीत सिंह बनाम अरविन्द कुमार।

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–18.06.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी ने परिवादी से लड़के की शादी व बच्चे के इलाज के लिए दो बार में 1,00,000/– रु0 व 50,000/– रु0 कुल 1,50,000/–रुपये उधार लिए थे। काफी समय बाद परिवादी ने अपने रुपये मांगे, तो विपक्षी ने दिनांक 24.03.2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिधूना के खाता सख्या 11025419115 की चैक संख्या 653329 मुव0 धनराशि 50,000/– रुपये की प्रदान की तथा दूसरी चैक दिनांकित 25.03.2022 चैक संख्या 653330 मुव0 धनराशि 1,00,000/–रु0 प्रार्थी को प्रदान की। उक्त चैकें परिवादी ने अन्तिम बार दिनांकित 07.04.2022 को अपने एचडीएफसी बैंक, औरैया के खाता संख्या 50100095712835 में भुगतान हेतु लगायी, जो दिनांक 11.04.2022 को विपक्षी के खाते में धनराशि न होने के कारण अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ वापस कर दी गयी। प्रार्थी ने दिनांक 20.04.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया, जो नोटिस विपक्षी को प्राप्त हुआ। विपक्षी ने जानबूझकर धोखा देने की नियत से उक्त चैकें प्रदान की। विपक्षी का यह कृत्य धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अपराध की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को उपरोक्त अपराध में तलब करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, दो किता मूल चैकें, चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, मूल रजिस्ट्री रसीद, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 20.04.2022 दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैकें को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 11.04.2022 को वापस कर दी गयी तथा चैके अनादरित हो गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 20.04.2022 को लीगल नोटिस भेजी गयी। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 09.05.2022 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी अरविन्द कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी अरविन्द कुमार अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अरविन्द कुमार** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2025.06.18 14:22:16 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna